न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या –108/2023–निगरानी

विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजौलियां जिला भीलवाडा –निगराकार	बनाम	1. नरेन्द्र सिंह /विनोद सिंह तंवर निवासी वार्ड नं. 14 भील बावडी के पास, बिजौलिया 2. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत बिजौलियां जिला भीलवाडा – गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम पटटा कमांक 1716 दिनांक 10.12.2019 निरस्त कराने बाबत्

उपस्थित–

1. विभागीय पेरोकार– निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.06.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान केप्रस्तुत कर निवेदन किया गया किप्रश्नगत पटटा जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा नियम 140 के तहत आबादी भूमि से संबंधित कोई भी वैधानिक दस्तावेजात संलग्न नही किये गये।ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा पटटा जारी करने में नियम 141 से 149 की उल्लघंना की गयी। जिसमें नक्शा नही बनाया गया, मौका निरीक्षण कमेटी का गठन नही किया गया, आपत्ति पत्र जारी नही किया गया। रियायती दर से भूखण्ड विक्रय होना बताया गया किन्तु प्रार्थी उक्त नियम की श्रेणी की पात्रता नहीं रखता हैं। पटटा कोरम से अनुमोदित नही कराया गया। पटटे के भूखण्ड पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नही हैं। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में भूखण्ड कय करने बाबत् किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा जारी पटटा संख्या 1716 दिनांकित 10.12.2019 को निरस्त किया जाये।